न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 158/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/292**
दायर दिनांक :– 27.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 16.10.2025**

01. महेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति खत्री निवासी बाप तहसी बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की खरीद शुदा भूमि खसरा नम्बर 615 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म चूना भट्टा ग्राम बाप पटवार हल्का बाप में स्थित है। प्रार्थी की अपनी उपरोक्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा है तथा प्रार्थी भूमि पर निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। विगम वर्षो में सरकार द्वारा चलाई गई सेग्रीकेशन योजना के प्रार्थी की उक्त भूमि की तरमीम प्रार्थी के कब्जा के विपरित एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम कर दी, जबकि इस कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौके पर न तो जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई और न ही खातेदार से इस भूमि बाबत् किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की तरमीम कब्जा के विपरित एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम हो जाने से प्रार्थी को कानूनी रूप से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि की तरमीम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 615 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्त चुना भट्टा भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे एवं जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार करवाने का निवेदन अप्रार्थी को किया तब अप्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही बाबत् संबंधित कोर्ट में चाराजोही करने का कहा तब प्राथी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

16/10/25

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बाप के खसरा नम्बर 615 की जमाबंदी में रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जबकि नक्शा में तरमीम राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे से कम दर्ज की गई है। वर्तमान नक्शा में दर्ज तरमीम अनुसार खसरा नम्बर 615 रकबा 0.0565 हैक्टेयर भमि दर्ज है। जमाबंदी में दर्ज रकबा से 0.0163 हैक्टेयर भूमि नक्शा में कम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 में खसरा नम्बर 615 रकबा 3–00 बीघा यानि 0.4856 हैक्टेयर दर्ज था जो जमाबंदी सम्वत 2058–2061 एवं अन्य समय में हुवे इस खसरा नम्बर 615, 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/6, 615/7, 615/8, 615/9, 615/10, 615/11, 615/12, 615/13 व 615/14 में दर्ज किया जाकर बेचान अनुसार ही इन खसरान् की तरमीम नक्शा में हो रखी है। खसरा नम्बर 615, 615/7 व 615/14 की जमाबंदी दर्ज रकबे एव कब्जे से तरमीम भिन्न है तथा बाकी अन्य खसरान का रकबा जमाबंदी व नक्शा में लगभग समान है। जमाबंदी सम्वत 2058–2061 अनुसार मूल खसरा नम्बर 615 रकबा 3–00 बीघा यानि 0.4856 हैक्टेयर दर्ज था जबकि नक्शे में उक्त खसरा का माप 0.4700 हैक्टेयर दर्ज है जो जमाबंदी में दर्ज रकबा से लगभग 0.0156 हैक्टेयर कम है। तहसीलदार बाप के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बाप के खसरा नम्बर 615, 615/7, 615/14, 615/9 की तरमीम को निरस्त किया जाकर एकीकरण किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 615, 615/7, 615/14, 615/9 की वर्तमान भू–नक्शा में ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर एकीकरण किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)